यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून** के माह 07/2017 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार तथा श्री जितेन्द्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा श्री एस० के० त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 12.03.2021 से 19.03.2021 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में चिकित्साधिकारियों, असिस्टेंट प्रोफेसर समस्त पैरामेडिकल स्टाफ एवं आयुष विभाग के चिकित्साधिकारियों का चयन किया जाता है।

(अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	
2017-18	-	-	14.29	4.74	98.33	53.78	54.10
2018-19			88.20	56.51	53.55	40.10	45.14
2019-20	-	-	9.99	4.07	145.90	52.45	99.37
2020-21(02/2021 तक)	-	-	36.00	12.76	244.22	66.14	-

(ब) Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

वर्ष		-	-
प्रारम्भिक शेष	-	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया	-	-	-
व्यय	-	-	-
अंतिम शेष	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(ii) इकाई द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि का व्यय चिकित्सीय संवर्ग में रिक्त पदों के चयन हेतु व्यय किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई स श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

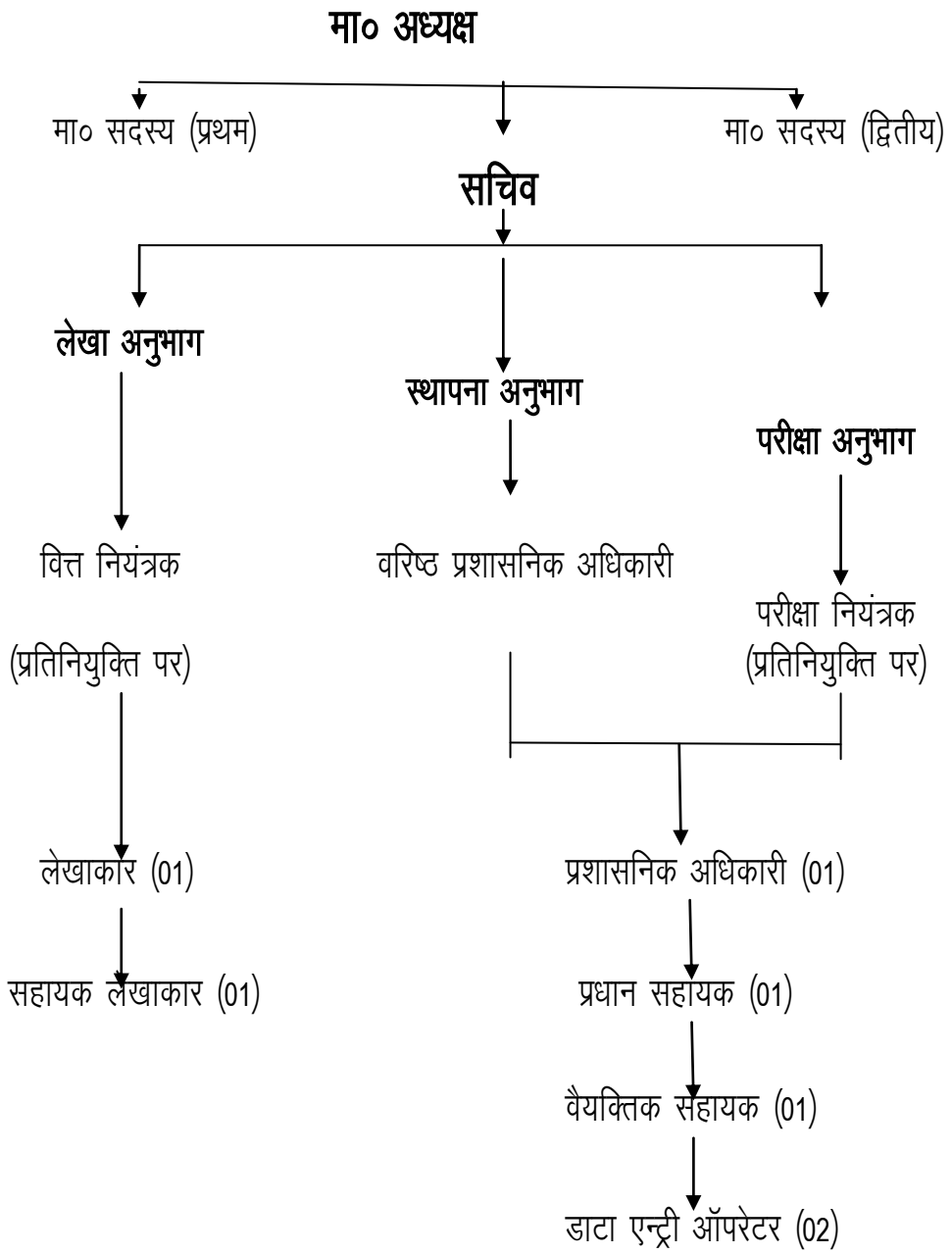

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, (संशोधित) 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:-01- अपूर्ण निर्माण कार्य पर ₹4.07 लाख का निष्फल व्यय।

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि उत्तराखण्ड के शासन आदेश संख्या-314/XXVIII-5-2017-13/2017 दिनाँक 26 अप्रैल 2017 द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड के कार्यालय भवन की छत पर अस्थायी रूप से तीन शेड द्वारा सभागार कक्ष निर्माण हेतु विस्तृत आगणन की अनुमोदित लागत ₹9.50 लाख पर प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से प्रावधानित धनराशि ₹1.07 लाख निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ अवमुक्त की गई थी। तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008 दिनाँक-15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाना था। कार्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था ब्रिड्कुल देहरादून के साथ कोई एम०ओ०यू० गठित नहीं के पक्ष में ₹1.07 लाख का भुगतान किया गया।

शासनादेश संख्या-679/XXIII-4-2019-13/2017 दिनाँक-26 अगस्त 2019 के द्वारा धनराशि ₹3.00 लाख की धनराशि पुनः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प॰क॰ को अवमुक्त की गई थी। परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा 03 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वर्तमान तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया। जबकि ब्रिडकुल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उक्त कार्य निविदा प्रदान किए जाने के पश्चात 02 माह में पूर्ण किया जाना था।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्माण एजेंसी द्वारा 70 प्रतिशत कार्य किया गया तथा 43% (₹4.07 लाख) का भुगतान किया गया। निर्माण कार्य यथासमय पूर्ण न होने के कारण कार्य बंद कर दिया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में कार्यालय महानिदेशक चि० स्वा० एवं प०क० के आवास में संचालित था तथा उसमें अधिकारी व कार्मिकों के बैठने एवं परीक्षा आदि करवाने हेतु स्थान बहुत कम था। जिस कारण दिनाँक-12.01.2021 से किराए के भवन में कार्यालय का संचालन किया जा रहा था। चूँकि कार्यालय द्वारा ₹4.07 लाख का कार्य कराने के पश्चात कार्यालय का संचालन किराए के भवन में किया गया। इसलिए ₹4.07 लाख का व्यय निष्फल रहा।

उक्त के सम्बन्ध में पृच्छा किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण न करने तथा कार्यालय में स्थान की कमी को देखते हुये कार्यालय हेतु किराए के भवन हेतु शासन द्वारा दी गई अनुमति द्वारा कार्यालय को स्थानान्तरित किया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य कराने से पूर्व स्थान, क्षेत्रफल आदि तथ्यों का आंकलन किया जाना चाहिए था।

अतः अपूर्ण निर्माण कार्य पर ₹4.07 लाख का निष्फल व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:02- गोपनीय खाते से धनराशि ₹ 27.68 लाख का अनियमित व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्राप्ति भुगतान लेखान्तर्गत प्राप्तियों को ₹ 0.45 लाख कम व भुगतान को ₹ 1.26 लाख अधिक दर्शाया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 लेखा नियम के पैरा 206 के अनुसार "गुप्त सेवा मद" में प्राप्त राशि से गुप्त सेवा पर किए जाने वाले व्ययों के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी द्वारा आकस्मिक रजिस्टर का रख-रखाव किया जाना था। जिसमें प्रत्येक आकस्मिक बिल की तिथि व राशि उन्नतिशील व्यय के नोट के साथ निविष्ट की जानी थी। गोपनीय सेवा व्यय से संबन्धित गोपनीय अभिलेखों में प्रत्येक नियन्त्रण अधिकारी द्वारा नकद पुस्तिका का रख-रखाव किया जाना था। इन अभिलेखों में राशि एवं प्रत्येक भुगतान की तिथि इस निर्देश के साथ दी जानी थी ताकि अनुप्रमाणित अधिकारी द्वारा नियन्त्रण अधिकारी को दायित्व से उन्मोचित किया जा सके। गुप्त सेवा कोष से आहरित राशि प्राप्ति पक्ष एवं आहरित राशि के विरुद्ध बिल का नम्बर व तिथि भुगतान पक्ष में अंकन किया जाना था व अनुप्रमाणित अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक बार नियन्त्रण अधिकारी द्वारा नियत व्यय की लेखापरीक्षा की जानी थी तथा प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व महालेखाकार को एक प्रमाण पत्र अग्रेषित किया जाना था।

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा आवेदन पत्रों एवं शुल्क से प्राप्त समस्त राशि केनरा बैंक के बचत खाता संख्या 3963101001399 में जमा की गई थी। जनवरी 2017 में उक्त खाते से ₹27.70 लाख की राशि साधारण ग्रेड दन्त शल्यकों के चयन हेतु दिनाँक 22.01.2017 को आयोजित लिखित परीक्षा हेतु पेपरों की सेटिंग, छपाई, ओ०एम०आर० शीट की छपाई एवं परिवहन के व्यय हेतु परीक्षा नियंत्रक के नाम से खोले गए गोपनीय खाते मे इस शर्त के साथ हस्तांतरित की गयी थी कि परीक्षा सम्पन्न होने के उपरांत अवमुक्त/हस्तांतरित राशि का वित्तीय नियमों के अंतर्गत समायोजन करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाये। अप्रैल 2017 मे परीक्षा नियंत्रक द्वारा सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र मे रु 27.44 लाख का व्यय/भुगतान एवं रु 0.26 लाख का अवशेष दिखाया था जिसका समायोजन चार वर्ष उपरांत संप्रेक्षा तिथि (मार्च 2021) तक लंबित था । आगे जांच मे ज्ञात हुआ कि नियंत्रण अधिकारी (परीक्षा नियंत्रक) द्वारा गोपनीय खाते से किए गए व्यय की संप्रेक्षा एवं दायित्वों के उन्मोचन के लिए अनुप्रमाणित अधिकारी (सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड) के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु आकस्मिक रजिस्टर /नकद पुस्तिका का रख रखाव नहीं किया गया था जिस कारण गोपनीय खाते से किए गए व्यय की प्रामाणिकता असत्यपित थी । चूंकि नियंत्रण अधिकारी द्वारा व्यय के संबंध मे बोर्ड को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे । अतः अनुप्रमाणिक अधिकारी द्वारा व्यय राशि की संप्रेक्षा नहीं की गयी थी एवं महालेखाकार को निर्दिष्ट प्रारूप मे प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया था। जाँच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अप्रैल 2017 तक उक्त खाते से ₹26.18 लाख का लेन देन किया गया था। जबकि उपयोगिता प्रमाण पत्र में ₹27.44 लाख का व्यय दिखाया गया था। मई 2017 तक गोपनीय खाते से ₹27.68 लाख का लेन देन किया गया था किन्तु लेन देन किए जाने के कारण स्पष्ट नहीं थे। परीक्षा संचालन का व्यय बोर्ड की प्राप्त शुल्क/आय से किए जाने के सम्बन्ध में शासन की पूर्व अनुमति भी बोर्ड द्वारा

प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार गोपनीय खाते से ₹27.68 लाख का अनियमित व्यय किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखान्तर्गत प्राप्ति भुगतान खाते का मिलान आय प्राप्ति लेजर व बैंक स्टेटमेंट से करने पर यह भी ज्ञात हुआ की भुगतान पक्ष मे दर्शाये गए अधोलिखित दो भुगतान गोपनीय खाते से किए गए थे -

Exam Paper Expenses	Rs 1,87,000/-
OMR Question Paper	Rs 25,57,366/-
Total	Rs 27,44,366/-

शेष सभी भुगतान शुल्क प्राप्ति खाते से किए गए थे । गोपनीय खाते से किए गए भुगतानों का मिलान बैंक स्टेटमेंट से करने पर ज्ञात हुआ की OMR/Qestion Paper मे रु 25,57,366/- भुगतान के अतिरिक्त मार्च 2017 तक शेष रु 60,466/- का भुगतान गोपनीय खाते से किया गया था जबकि Exam Paper Expenses मे रु 1,87,000/- का भुगतान दिखाया गया था। अतः भुगतान पक्ष मे रु 1.26 लाख (रु 1.87-0.61 लाख) का अधिक भुगतान दिखाया गया था। धनराशि रु 0.45 लाख की ब्याज प्राप्ति को भी प्राप्ति पक्ष मे बोर्ड द्वारा नहीं दिखाया गया था। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्राप्ति एवं भुगतान खाते मे बोर्ड की प्राप्तियों को रु 0.45 लाख से कम व भुगतान को रु 1.26 लाख से अधिक दर्शाया गया था।

गोपन खाते से अनियमित व्यय किए जाने के संबंध मे पूछे जाने पर बोर्ड द्वारा भविष्य मे ध्यान रखे जाने व वर्ष 2016-17 के प्राप्ति भुगतान खाते मे अंतर के संबंध मे उचित संशोधन करने का आश्वासन दिया गया ।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:01-</u> बिना शासन के पूर्वानुमोदन के ₹11.61 लाख के मानदेय का भुगतान।

According to Rule 15 of Uttarakhand Medical Service Selection Board Act 2015 (Uttarakhand Act N.18 of 2015) "The Board shall, with the previous approval of State Government make regulations for the convenient transaction of its business, including performance of its functions by the chairman or other members or a committee thereof and the business transacted in accordance with such regulations shall be deemed to have been transacted by the board."

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या-854/XXVIII-2/01(38) टी०सी०-4 दिनाँक-15 सितम्बर 2016 के बिन्दु संख्या-**4.3** के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों को तथा अन्य चयन बोर्ड के अधिकारी कार्मिकों को अनुमन्य वेतन भत्ते अन्य भुगतान, मानदेय अन्य सुविधाओं आदि का निर्णय शासन द्वारा शासनादेश जारी कर किया जाना था।

कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के पत्रांक-उ०ख०चि०से०च०बो०/परी०/07/2016-17/46 दिनाँक-24 मार्च 2018 द्वारा दिनाँक 22 नवम्बर 2017 से 29 दिसम्बर 2017 तक सम्पन्न कराये गए चिकित्साधिकारी (साधारण ग्रेड) के साक्षात्कार हेतु पैनल में उपस्थित अध्यक्ष, सदस्यों, विषय विशेषज्ञों व बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धनराशि ₹ 7,19,500/- के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य को क्रमशः ₹25000/-, ₹55000/- एवं ₹67500/- मानदेय का भुगतान किया गया था। इसी प्रकार कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के पत्रांक-उ०ख०चि०से०च०बो०/परी०/07/2016-17/217 दिनाँक-24 मार्च 2018 द्वारा दिनाँक 07 फरवरी 2018 में सम्पन्न कराये गए दून मेडिकल कॉलेजों के संकाय सदस्य प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के साक्षात्कार हेतु पैनल में उपस्थित अध्यक्ष, सदस्यों, विषय विशेषज्ञों व बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धनराशि ₹ 47,000/- के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य को ₹7500/- (2500 प्रति व्यक्ति) मानदेय का भुगतान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त प्रकार ही ₹394300/- के मानदेय का भुगतान किया गया। जबकि उक्त भुगतान शासन द्वारा शासनादेश जारी कर किया जाना था।

इकाई से उक्त के सम्बन्ध में पृच्छा किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि दिनाँक-20.11.2017 एवं 19.01.2019 को मा० अध्यक्ष, चि० से० च० बोर्ड देहरादून की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार लोक सेवा आयोग हेतु अनुमन्य दरों पर शासन के अनुमोदन/स्वीकृति की प्रत्याशा के आधार पर भुगतान किया गया। जिससे स्वतः आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः बिना शासन के पूर्वानुमोदन के ₹11.61 लाख के मानदेय का भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा बोर्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) लेखापरीक्षा ज्ञाप संख्या-38 से संबन्धित सूचना एवं अभिलेख।

(ii) लेखापरीक्षा ज्ञाप संख्या-43 से संबन्धित सूचना एवं अभिलेख।

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :**

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
डा० एन०एस० डांगी	सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून	18.06.2016 से 19.01.2018
श्रीमती अर्चना गहरवार	सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून	19.01.2018 से 08.02.2019
डा० अभिषेक त्रिपाठी	सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून	08.02.2019 से 05.07.2019
श्रीमती गरिमा रौंकली	सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून	05.07.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए०एम०जी-I) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,
ए०एम०जी-I